निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
149/2020	21.10.2020	25/3/ .2021

1.रामभरत पुत्र विशनपाल जाति मीना निवासी उदेईखुर्द तहसील वजीरपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—श्री फारूख खान एडवोकेट प्रार्थी की और से

निर्णय

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया हे कि प्रार्थी यह कि प्रार्थी उदेई खुर्द का निवासी है। गांव में प्रार्थी को भरत व रामभरत दोनों ही नामों से जाना जाता । प्रार्थी की पहचान के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामभरत पुत्र विशनलाल दर्ज है तथा सहखातेदारी भूमि हाल खसरा नं0 1221,1222,1224,1227,1228,1229,1231,1232,1749,1750,504 में भी खातेदार के रूप में प्रार्थी का नाम रामभरत दर्ज है लेकिन भूमि खसरा नं0 1595 रकवा 1.25 हैक्टर ग्राम उदेई खुर्द में प्रार्थी का नाम भरतलाल पुत्र विशनलाल दर्ज है, भरतलाल दर्ज होने से प्रार्थी को अपनी भूमि के विकास के लिए बैंक से ऋण इत्यादि की सुविधा नही मिल पाती है। इसलिए उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम भरतलाल के बजाय रामभरत दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के अलावा भरतलाल पुत्र विशनलाल व रामभरत पुत्र विशनलाल नाम का अन्य कोई व्यक्ति गांव में मौजूद नही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थी की भूमि हाल खसरा नं0 1595 रकवा 1.25 हैक्टर की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम भरतलाल की बजाय रामभरत दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2076—2079 खाता संख्या 202 व 332 ग्राम उदेई खुर्द तथा फोटोप्रति आधार कार्ड,पहचान पत्र की फोटोप्रति, तथा ग्राम पंचायत उदेई खुर्द का प्रमाण पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई । तहसीलदार वजीरपुर ने दिनांक 11.2.2021 को अपने पत्र कमांक 369 के जरिये मौका रिर्पोट पटवारी पेश की ।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2076-2079 खाता संख्या 202 व 332 ग्राम उदेई खुर्द तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र व अन्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2076-2079 खाता संख्या 332 ग्राम उदेई खुर्द में प्रार्थी का नाम भरतलाल दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजात आधारकार्ड,पहचानपत्र में उसका नाम रामभरत दर्ज है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा की गई है। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम भरतलाल के स्थान पर रामभरत किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम उदेई खुद्र की हाल जमाबन्दी खाता संख्या 332 खसरा नंम्बर 1595 में प्रार्थी का नाम भरतलाल को हजफ कर उसके स्थान पर रामभरत दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 332 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/3/.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर